वित्तीय विनियमन तथा पर्यवेक्षण

रिजर्व बैंक ने वर्ष 2006-07 के दौरान बढ़ते V.1 वैश्वीकरण, सतत चालू वित्तीय अविनियमन और तेज प्रौद्योगिकीय नवोन्मेषों के वातावरण में एक स्थिर और प्रतिस्पर्धात्मक वित्तीय क्षेत्र को संवर्धित करने के लिए अपने विनियामक और पर्यवेक्षी प्रयासों को जारी रखा। वित्तीय स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिए विवेकपूर्ण लेखा प्रणाली और प्रकटीकरण मानदंडों को मजबूत बनाया गया था। क्रमिक ताल-मेल पर बल के साथ घरेलू वित्तीय क्षेत्र को अच्छे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समरूप बनाने की नीति के दृष्टिकोण के अनुरूप में बैंकों द्वारा नयी पूंजी प्रर्याप्तता संरचना (बासेल II) को क्रियान्वित करने के लिए अंतिम दिशा-निर्देशों को जारी किया गया है। वर्ष के दौरान ड्राफट विजन दस्तावेज में निर्धारित कार्यविधि के अनुसरण में शहरी सहकारी बैंकों को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयास किये गये। वित्तीय सेवाओं की पहुंच को विस्तृत करने, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करने और वित्तीय क्षेत्र के विविधीकरण करने में और बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्य को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने इन इकाइयों को सुदृढ़ बनाने के अपने प्रयासों को जारी रखा। वर्ष 2006-07 के दौरान रिज़र्व बैंक ने ग्राहकों के अधिकारों की सुरक्षा करने, ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि करने और बैंकों में शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत बनाने के अपने प्रयासों को भी जारी रखा।

V.2 संवेदी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश वाले चुनिंदा बैंकों में की गई पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया से स्पष्ट है कि सभी बैंकों के स्थावर संपदा में निवेश मुख्यत: वैयक्तिक गृह ऋण में वृद्धि के कारण हुए हैं। विशेषकर विभिन्न क्षेत्रों में तीव्र ऋण वृद्धि को देखते हुए विवेकपूर्ण मानदंडों में सुधार किया गया। बासेल II ढ़ांचे में सहज ढ़ंग से अंतरण रिजर्व बैंक का ध्यान आकर्षित किए हुए है जैसा कि 31 मार्च 2008 वर्ष से भारत में वाणिज्यिक बैंक बासेल II मानदंडों का कार्यान्वयन शुरु करेंगे। उन बैंकिंग सेवाओं के न्यूनतम मानक उपलब्ध कराने

के लिए 'ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संहिता' को जारी किया गया. जिसकी व्यक्तिगत ग्राहक तार्किक रूप से आशा कर सकता है। वित्तीय उदारीकरण के क्रमिक प्रक्रिया के अंग के रूप में, ऋण व्युत्पन्नियों को अंशांकित ढ़ंग से लागू करना उचित माना गया। ऋण व्यत्पन्यों सहित ओटीसी व्युत्पन्नी लिखतों को वैध बनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 में हुए हाल ही में किए गए संशोधनों के संदर्भ में वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में बैंकों एवं प्राथमिक व्यापारियों को एकल-इकाई ऋण चुक अदला-बदली (सिंगल इंटिटी क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप) में लेनदेन शुरु करने की अनुमति देने का प्रस्ताव था। मध्यम/ निम्न मध्यम आय वर्ग को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में शहरी सहकारी बैंकों की भूमिका को देखते हुए इन बैंकों को भी मजबूत करने के लिए पहल की गई। ड्राफ्ट विजन डाक्यूमेंट में निर्दिष्ट मार्गों पर चलते हुए 12 राज्यों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और इन राज्यों में शहरी सहकारी बैंकों के लिए कार्य दल (टीएएफसीयुबी) का भी गठन किया गया। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों में शहरी सहकारी बैंकों को मुद्रा तिजोरी खोलने, म्यूचुअल फंड उत्पाद बेचने, विदेशी मुद्रा सेवाएं देने, नए एटीएम खोजने तथा विस्तार पटलों को शाखाओं में परिवर्तित करने की अनुमित मिलने पर वे अपने कारोबार को बढा सके। बहु-राज्यीय शहरी सहकारी बैंकों के मामलों में रिजार्व बैंक एवं केंद्र सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। कुल जमा राशियों के लगभग 90 प्रतिशत रखने वाले शहरी सहकारी क्षेत्र के लगभग 83 प्रतिशत बैंक समझौता ज्ञापन के अधीन है। प्रणालीगत रुप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में विनियामक अंतराल को कम करने के लिए विनियामक ढ़ाचे में सुधार किया गया। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा न लेने वाले गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी परिभाषित किया गया

वित्तीय विनियमन तथा पर्यवेक्षण

किए जाएंगे। रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मांग मुद्रा उधारों की वर्तमान सीमाएं उपर्युक्त सीमाओं के भीतर एक उप-सीमा के रूप में लागू रहेंगी।

वित्तीय क्षेत्र का प्रसार

V.9 वर्ष 2006-07 में, भारतीय बैंकों ने विदेशों में अपना प्रसार जारी रखा। जून 2007 के अंत तक 16 बैंकों (11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और 5 निजी क्षेत्र के बैंक) के पास 188 कार्यालयों (123 शाखाओं, 38 प्रतिनिधि कार्यालयों, 7 संयुक्त उद्यमों और 20 सहायक संस्थाओं) का एक नेटवर्क था।

कैलेंडर वर्ष 2006 के दौरान रिज़र्व बैंक V.10 ने भारत में विदेशी बैंकों की 13 शाखाएं खोलने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। 2006-07 (जुलाई 2006-जून 2007) के दौरान भारत में मौजूद तीन विदेशी बैंकों को भारत में 10 शाखाएं खोलने और छह विदेशी बैंकों में से प्रत्येक को मुंबई में अपना एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलने तथा एक विदेशी बैंक को नई दिल्ली में एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की अनुमति दी गई । इसी दौरान, छ: विदेशी बैंकों ने भारत भर में अपनी शाखाएं और चार विदेशी बैंकों ने मुंबई में अपने प्रतिनिधि कार्यालय खोले हैं। जून 2007 के अंत तक 268 शाखाओं के माध्यम से 29 विदेशी बैंक कार्य कर रहे थे। इसके अलावा, 34 विदेशी बैंक अपने प्रतिनिधि कार्यालयों के माध्यम से भी कार्य कर रहे थे।

पर्यवेक्षणात्मक पहल

V.11 बैंक पर्यवेक्षण संबंधी बासल समिति (बीसीबीएस) ने 'पूंजी मापन और पूंजी मानक का अंतर्राष्ट्रीय अभिसरण : संशोधित रूपरेखा' (जो बासल II के रूप में लोकप्रिय है) नाम का एक दस्तावेज 26 जून 2004 को जारी किया था। बासल II में सहज रूप से अंतरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने एक परामर्शात्मक दृष्टिकोण अपनाया और बैंकों, भारतीय बैंक संघ (आई बी ए) तथा रिजर्व बैंक के

अधिकारियों को शामिल करते हुए एक संचालन समिति का गठन किया। संचालन समिति और उसके द्वारा बनाए गए उप-समूहों की सिफारिशों के आधार पर रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2005 में अभिमत के लिए पूंजी पर्याप्तता की नई रूपरेखा के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों का प्रारूप जारी किया। इस संबंध में प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर दिशानिर्देशों के प्रारूप को संशोधित किया गया है और मार्च 2007 में उसे दूसरे दौर के विचार-विमर्श के लिए जारी किया गया है। दूसरे प्रारूप के लिए प्राप्त प्रति सूचना के आधार पर पूंजी पर्याप्तता की नई रूपरेखा (संशोधित रूपरेखा) के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है और 27 अप्रैल 2007 को उसे जारी किया गया है।

ग्राहक सेवा

ग्राहक सेवा के प्रति रिज़र्व बैंक का व्यापक दृष्टिकोण आम आदमी को बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए शक्ति संपन्न बनाना तथा इंडियन बैंक एसोसियेशन के माध्यम से बैंकों के साथ परामर्शदायी प्रक्रिया अपनाकर बैंकों में ग्राहक सेवा मजबूत करना है। विशेष रूप से इन पर ध्यान केंद्रित किया गया है (क) ग्राहक सेवा के प्रति बैंकों को जाग्रत करना तथा बैंक के बोर्ड की संलिप्तता सुनिश्चित करना, विशेष रूप से बैंक की अपनी शिकायत निवारण मशीनरी से संबंधित मामलों में (ख) ग्राहक के साथ सभी सौदों में पारदर्शिता पर जोर देना तथा मूल्यन में उपयुक्तता स्निश्चित करना (ग) बैंकों द्वारा ग्राहकों के प्रति वचनबद्धता निभाने के लिए स्वयं बनाई गई संहिताओं को लागु करने के लिए बढावा देना और एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा अनुपालन पर निगरानी रखना अर्थात् भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआइ); (घ) विवादों को निपटान के लिए संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाना (ङ) आइबीए द्वारा पहलों को प्रेरित करते हुए जब केवल आवश्यक हो तभी विनियमन/नुस्खों का प्रयोग करना

(च) रिजर्व बैंक की अपनी प्रणाली और प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना।

V.13 रिजर्व बैंक में 1 जुलाई 2006 को ग्राहक सेवा विभाग की स्थापना के साथ अब तक रिजर्व बैंक के विभिन्न विभागों द्वारा सम्हाले जाने वाले बैंकों एवं रिजर्व बैंक से संबंधित विभिन्न ग्रााहक सेवा गतिविधयों को एक छत के नीचे लाया गया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

V.14 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को मजबूत करने के लिए सितंबर 2005 में शुरू की गई उनके विलय की प्रक्रिया 2006-07 में जारी रही। 145 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 45 नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में विलय के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या मार्च 2005 के अंत के 196 से घटकर मार्च 2007 के अंत में 133 एवं मार्च 2007 के अंत में आगे घटकर 96 रह गयी।

V.15 शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों की मध्यम वर्गीय/निम्न मध्यम वर्गीय आबादी तक ऋण एवं जमा सुविधाएं पहुंचाकर वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः रिजर्व बैंक 2006-07 के दौरान नीतिगत पहल यह सुनिश्चित करने के लिए जारी रखे हुए है कि आवश्यकता आधारित बैंकिंग सेवाएं विशेषकर मध्यम तथा निम्न मध्यवर्ग और हाशिए पर पड़े समाज के भाग को उपलब्ध कराने के लिए ये बैंक संयुक्त स्वामित्ववाले, लोकतांत्रिक तरीके से नियंत्रित और नीतिपरक रूप में प्रबंधित सुदृढ़ और सक्षम नेटवर्क वाले बैंकिंग संस्थान के तौर पर उभर सकें।

V.16 शहरी सहकारी बैंक को सुदृढ़ करने वाला दृष्टिकोण निम्नलिखित तत्वों पर फोकस करता है (क) जब तक रिजर्व बैंक को नियामक की स्थिति प्राप्त है, हरेक राज्य में, नए लाइसेंस /नई शाखा प्राधिकरण को रोकना (ख) विकेंद्रित स्तर पर (राज्य) समस्याओं

का परामर्शकारी और सहयोगात्मक समाधान करना जिसमें दोहरे नियंत्रण की समस्या से बचने के लिए सभी पणधारियों का प्रतिनिधित्व हो। (ग) सहमित के माध्यम से लेखा परीक्षा और प्रबंधन का व्यवसायकीकरण (घ) कमजोर बैंकों के निकास के कारण प्रणालीगत प्रभाव को न्यूनतम करने पर जोर देना (ङ) अबाध निकास की सुविधा के लिए विलयन को प्रेरित करना (च) राज्य में शहरी सहकारी बैंक के परिचालन में उदारीकरण /नमनीयता के साथ राज्य सरकारों को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित करना (छ) वित्तीय सुदृढ़ता और नियामक सुविधा पर विस्तार की जिम्मेदारी डालना।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां तेजी से बैंकिंग प्रणाली के पूरक के रूप में पहचानी जा रही हैं; वित्तीय कठिनाई के समय बढ़ते जोखिम को अवशोषित करने में वे सक्षम हैं। बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और यहां तक कि विभिन्न श्रेणियों की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यकलापों में विभिन्न स्तर के विनियमों के अनुप्रयोग ने विनियमों के इस असमान व्याप्ति से कुछ मुद्दे ला खड़े किए हैं। वित्तीय क्षेत्र में समतल कार्य क्षेत्र, विनियामक अभिसारिता और विनियामक अंतरपणन से संबंधित मुद्दों का परीक्षण करने के लिए गठित आंतरिक ग्रूप की सिफारिशों और इस विषय पर प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर प्रणालीगत रुप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के समग्र विनियमन और बैंकों तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बीच संबंध से संबंधित सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए एक संशोधित ढांचे को रखने का निर्णय किया गया था। इसके आगे, संशोधित ढांचे के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार न करनेवाली ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जिनकी आस्ति मात्रा 100 करोड़ रुपए और इससे उपर हो, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) के रुप में परिभाषित की गई हैं।

वित्तीय विनियमन तथा पर्यवेक्षण

समिष्टि-विवेकपूर्ण संकेतक समीक्षा

V.18 रिजार्व बैंक मार्च 2000 से समिष्टि विवेकपूर्ण संकेतकों (एमपीआइ) का संकलन करता रहा है। इसमें अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं की हैसियत के कुल सूक्ष्म-विवेकपूर्ण संकेतक और वित्तीय प्रणाली की सबलता से संबद्ध समिष्ट आर्थिक संकेतक (एमईआई) दोनों शामिल हैं। भारत एक ऐसा देश है जो अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष के तत्वाधान में दिसंबर 2005 में वित्तीय सबलता संकेतकों के समन्वित समेकन कार्य में स्वेच्छा से सहभागी बना।

V.19 2006-07 के सूक्ष्य-विवेकपूर्ण संकेतकों की समीक्षा से वित्तीय क्षेत्र के बड़े घटकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में और सुधार के संकेत मिलते हैं। पूँजी पर्याप्तता अनुपात न्यूनतम आवश्यकताओं के ऊपर बना रहा। वर्ष के दौरान वित्तीय मध्यस्थों की परिसंपत्ति गुणवत्ता और सुधरी। 2006-07 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की परिसंपत्तियों पर आय पूर्व वर्ष के स्तर पर लगभग अपरिवर्तित बनी रही, जबिक प्राथमिक व्यापारियों की आय में, स्टैंड एलोन प्राथमिक व्यापारियों के बौंक के प्राथमिक व्यापारियों के बांक के प्राथमिक व्यापारियों के तिज्ञ निरावट दिखी।

संभावनाएं

रिज़र्व बैंक वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में V.20 घरेल वित्तीय क्षेत्र को सुदृढ करने के लिए विभिन्न विनियामक और पर्यवेक्षी पहल करना जारी रखेगा। भारतीय वित्तीय क्षेत्र को सबसे अच्छी अन्तर्राष्ट्रीय पद्धतियों के मानदंड के अनुरूप लाने के उद्येश्य से, भारत के वाणिज्य बैंक मार्च 2008 के अंत से बासेल - II कार्यान्वित करना शुरू करेंगे। बैंकों में जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए , जोखिम प्रबंधन प्रणाली और बासल-II के लिए बैंकों की तैयारी की स्थिति पर विचार करते हुए नपे तुले तौर पर उपाय के रूप में क्रेडिट व्युत्पन्नी शुरू की जा रही है। व्युत्पन्नी के लेखांकन के लिए सिद्धांतों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। अविनियमन, उदारीकरण और वित्तीय समृह के प्रादुर्भाव की तेज गित के मद्देनजर बैंकों की संगठनात्मक संरचना, व्यापार प्रक्रिया और जोखिम स्थिति की जटिलताओं पर पर्याप्त ध्यान सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षी प्रक्रिया को लगातार अच्छा स्वरूप दिया जा रहा है। जोखिम आधारित पर्यवेक्षी ढांचे और सुगमता से बासल II की ओर हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित है और इसके लिए रिज़र्व बैंक के साथ-साथ बैंकों में उपयुक्त क्षमता विकास करने की आवश्यकता होगी। विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे को सुदृढ़ करने के दौरान रिजार्व बैंक वृहत वित्तीय समावेश और बैंकिंग क्षेत्र द्वारा उपलब्ध ग्राहक सेवाओं में सुधार के प्रति अपने प्रयासों पर दृढ रहेगी।